छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492 002
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27-05-2026

क्रमांकLAND-4403/23/2025--MRD::: राज्य शासन एतद्द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राजस्व राशि का पंचायतों को संवितरण के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 10.10.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य राशि वितरण एवं उसके उपयोग के संबंध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी करता है:-

1. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 76 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व के **33 प्रतिशत** की समतुल्य राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित की जाएगी।

2. गौण खनिजों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व के शेष **67 प्रतिशत** की समतुल्य राशि का वितरण संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य निम्नानुसार किया जाएगा:-

क्र.	संवितरण हेतु राशि का स्लैब	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
1	राशि रूपये 7.50 लाख तक प्राप्त सम्पूर्ण राशि	100%	0%	0%
2	राशि रूपये 7.50 लाख से अधिक किन्तु रूपये 10.00 लाख तक	80%	10%	10%
3	राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु रूपये 25.00 लाख तक	70%	15%	15%
4	राशि रूपये 25.00 लाख से अधिक किन्तु रूपये 50.00 लाख तक	60%	20%	20%
5	राशि रूपये 50.00 लाख रुपये से अधिक	50%	25%	**25%**

3. राशि के उपयोग हेतु अतिरिक्त मापदण्ड:- विभागीय आदेश दिनांक 10.10.2012 में वितरित की गई राशि के उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्ड (पैरा-4) में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों को भी समाहित किया जाता है:-

1. स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में ओव्हरहेड टैंक सहित रनिंग वॉटर की सुविधा।
2. सामुदायिक शौचालयों में ओव्हरहेड टैंक सहित रनिंग वॉटर की सुविधा।
3. मुक्तिधाम निर्माण, संधारण कार्य एवं पहुंच मार्ग।
4. वाचनालय निर्माण।
5. जिला पंचायत को वितरित की गई राशि का व्यय केवल उन क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा, जहां उत्खनन कार्य हो रहा है। ऐसे क्षेत्र उत्खनन स्थल से 15 कि.मी.

की परिधि के अंदर होने चाहिए तथा ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जहां उत्खनन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

4. प्रभावशीलता एवं प्रक्रिया:

1. **वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं पूर्व के वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं इससे पूर्व के वर्षों में गौण खनिजों की संवितरित राशि का व्यय विभागीय आदेश दिनांक 10.10.2012 में दी गई रीति एवं निर्धारित मदों के अनुसार ही किया जाएगा।

2. **वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं पश्चातवर्ती वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं पश्चातवर्ती वर्षों में प्राप्त होने वाली गौण खनिज राशि का संवितरण एवं व्यय इस नवीन आदेश की शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

5. विभागीय आदेश दिनांक 10.10.2012 के शेष मापदण्ड, तथ्य एवं प्रक्रिया यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
VINAYAK SHARMA
Date: 27-05-2026
10:58:53

(विनायक शर्मा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ.क्र.LAND-4403/23/2025--MRD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27-05-2026

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
7. समस्त कलेक्टर, जिला - .... छत्तीसगढ़।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत .... छत्तीसगढ़।
9. समस्त उप संचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, जिला कार्यालय, ... छत्तीसगढ़।
10. गार्ड फाईल।